# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
## (पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

**आवेदक**

श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, सिरोही

**बनाम**

**प्रतिवादी / अभियुक्तगण**

1. मोहम्मद इरफान पुत्र असगर अली, विक्रेता, मैसर्स नागौरी डेयरी, नहीद हुसैन, पैलेस रोड़, सिरोही, जिला– सिरोही, स्थाई पताः– बस स्टेण्ड रोड़, सरजावा, इमाम वाडा के सामने, सिरोही तहसील व जिला– सिरोही
2. नहीद हुसैन, प्रोपराईटर, मैसर्स नागौरी डेयरी, नहिद हुसैन, पैलेस रोड़, सिरोही, जिला– सिरोही, स्थाई पताः– बस स्टेण्ड रोड़,, सरजावा, इमाम वाडा के सामने, सिरोही तहसील व जिला– सिरोही
3. कौशिक ओझा पुत्र श्री हेमन्त ओझा, विक्रेता एवं मालिक, मैसर्स के.के. एन्टरप्राईज ब्लॉक नं. 2 प्लॉट नं. 5, शास्त्री नगर, सिरोही, जिला– सिरोही
4. प्रेमचन्द गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश, निर्माता, मैसर्स शिवा मिल्क फूडस् 15/9 इण्डस्ट्रीयल एरिया, SSGT ROAD, GZB, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश–201001

**F.S.S.Act Case No.15/2026**

**"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"**

**–ः निर्णय ः–** **दिनांक 08 अप्रेल, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी अभियुक्तगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा दिनांक 15–11–2025 को मैसर्स नागौरी, डेयरी, नहीद हुसैन, पेलेस रोड़, सिरोही, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता मोहम्मद इरफान पुत्र असगर अली, निवासी– बस स्टेण्ड़ रोड़, सरजावा, इमाम वाडा के सामने, सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Avik) का नमूना संख्या S-2902, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./2341/Act/2025/2342 दिनांक 16–12–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्तगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्तगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 07–4–2026 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 क्रमशः मोहम्मद इरफान पुत्र असगर अली, नहीद हुसैन व कौशिक ओझा, इस न्यायालय में उपस्थित हुये। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 07–4–2026 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 क्रमशः नहिद हुसैन व कौशिक ओझा ने लिखित जबाव प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 1 (एक) ने जबाव प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 (चार) प्रेमचन्द गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये व न ही इनकी ओर से कोई जबाव प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 08–4–2026 को प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुये। अतः प्रतिवादी संख्या 4 (चार) के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुरुप गुणावगुण निस्तारण किया जा रहा है।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अध्ययन एवं अवलोकन

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

किया तो यह पाया कि श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 15—11—2025 को 04—15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स नागौरी डेयरी, नहिद हुसैन, पैलेस रोड तहसील व जिला— सिरोही पर गये, वहां पर विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी मोहम्मद इरफान पुत्र असगर अली, निवासी— बस स्टेण्ड रोड़ सरजावा, इमाम वाडा के सामने, सिरोही, तहसील व जिला— सिरोही उपस्थित मिले। श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स नागौरी डेयरी, नहिद हुसैन, पैलेस रोड़, सिरोही के निरीक्षण के दौरान मैसर्स नगौरी डेयरी, नहिद हुसैन, पैलेस रोड़, सिरोही की दुकान में खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Avik) के 15 किलोग्राम के पैक टीन आम जन को विक्रय हेतु रखे हुए पाये, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता मोहम्मद इरफान पुत्र असगर अली को गवाह श्री मोहम्मद रियाज पुत्र नाहिद हुसैन, निवासी— बस स्टेण्ड रोड़, सिरोही व श्री जितेन्द्र कुमार, कम्पयूटर ऑपरेटर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मैसर्स नागौरी डेयरी, नहिद हुसैन, पैलेस रोड़, सिरोही में आम जन के विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Avik) के 15 किलोग्राम के एक पैक टीन को खोलकर उसमें से 800 ग्राम Ghee (Brand Avik) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे, खाली बर्तन में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 440/— (रुपये चार सौ चालीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता मोहम्मद इरफान को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने प्रतिवादी विक्रेता मोहम्मद इरफान पुत्र असगर अली व उक्त गवाहों को चार साफ सूखी व खाली शीशीयां/जार दिखाकर प्रतिवादी विक्रेता व उक्त गवाहों के समक्ष उक्त खरीदशुदा Ghee (Brand Avik) 800 ग्राम को हिला मिलाकर एकरुप किया एवं खरीदशुदा Ghee (Brand Avik) 800 ग्राम को प्रत्येक नमूना शीशी/जार में बराबर बराबर मात्रा में डालकर प्रत्येक नमूना शीशी/जारों को अलग अलग ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने लेबल तैयार पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2902, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Avik) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता मोहम्मद इरफान पुत्र असगर अली व उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Avik) के चारों नमूना शीशी/जारों पर एक—एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा Ghee (Brand Avik) के चारों नमूना शीशी/जारों को अलग—अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता मोहम्मद इरफान पुत्र असगर अली व उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता मोहम्मद इरफान पुत्र असगर अली व उक्त गवाह तथा श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक—एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद

......पेज तीन पर

प्रति. जिला न्यायाधीश
सिरोही—307001

किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने दिनांक 17–11–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर VI का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 15–11–2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा मैसर्स नागौरी डेयरी, नहिद हुसैन, पैलेस रोड़, सिरोही, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता मोहम्मद इरफान पुत्र असगर अली से खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Avik) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Avik) के नमूना संख्या S-2902 की प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2341/Act/2025/2342 दिनांक 16–12–2025 में खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Avik) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त फर्म मैसर्स नागौरी डेयरी, नहिद हुसैन, पैलेस रोड़, सिरोही का प्रोपराईटर नहिद हुसैन (प्रतिवादी संख्या 2) है एवं प्रतिवादी संख्या 1 (एक) मैसर्स नागौरी डेयरी में विक्रेता है। प्रतिवादी संख्या 2 (दो) नहिद हुसैन की फर्म मैसर्स नागौरी डेयरी, पैलेस रोड़, सिरोही द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Avik) के 15 किलोग्राम के पैक टीनों को फर्म मैसर्स के.के. एन्टरप्राईज, ब्लॉक नं. 2 प्लॉट नं. 5, शास्त्री नगर, सिरोही से जरिये बिल इनवोइस के खरीद किया गया है जो प्रतिवादी कौशिक ओझा (प्रतिवादी संख्या 3) की प्रोपराईटरी फर्म है तथा प्रतिवादी संख्या 3 (तीन) कौशिक ओझा की फर्म मैसर्स के.के. एन्टरप्राईज, ब्लॉक नं. 2 प्लॉट नं. 5, शास्त्री नगर, सिरोही द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Avik) के 15 किलोग्राम के पैक टीनों को फर्म मैसर्स शिवा मिल्क फूडस्, 15/9 इण्डस्ट्रीयल एरिया, SSGT ROAD GZB, गाजियाबाद से जरिये बिल इनवोईस क्रय किया गया था, जो उक्त खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Avik) की निर्माता व पैकर फर्म है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा मैसर्स नागौरी डेयरी, नहिद हुसैन, पैलेस रोड़, सिरोही में आम जन के विक्रय हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Avik) के 15 किलोग्राम के पैक टीनों में से Ghee (Brand Avik) के एक पैक टीन को खोलकर उसमें से 800 ग्राम Ghee (Brand Avik) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर/निर्माता के दायित्व उल्लेखित किये हुये है, जिसके अनुसार अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Avik) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म मैसर्स शिवा मिल्क फूडस्, 15/9 इण्डस्ट्रीयल एरिया, SSGT ROAD GZB, गाजियाबाद दोषी है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि फर्म मैसर्स शिवा मिल्क फूडस्, 15/9 इण्डस्ट्रीयल एरिया, SSGT ROAD GZB, गाजियाबाद द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Avik) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

.......पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

## आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को दोषमुक्त करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Avik) (नमूना संख्या S-2902) के निर्माण पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी निर्माता फर्म मैसर्स शिवा मिल्क फूडस्, 15/9 इण्डस्ट्रीयल एरिया, SSGT ROAD GZB, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) –201001 पर राशि रुपये 75,000/– (अक्षरे रुपये पचहत्तर हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी प्रेमचन्द गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश (प्रतिवादी संख्या 4) को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजि ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय/आदेश आज दिनांक 08 अप्रेल, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)